न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 333/2017

प्रार्थीगण :-

1. बाबुलाल पुत्र मीराराम
2. शान्ति पत्नी बाबुलाल जातियान विश्नोई निवासीगण विष्णु की ढाणी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर राजस्थान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थीगण – श्री डी डी रामावत, अधिवक्ता।
अप्रार्थी संख्या 1– सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांकः–** 04/07/25

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ग्राम विष्णु की ढाणी के मूल निवासी है तथा ग्राम चान्देलाव तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की खातेदारी की कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा नं. 267/5 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय स्थित है। जिसे प्रार्थना पत्र में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है जिसकी ताईद में जमाबन्दी की सत्यप्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पेश है। प्रार्थीगण की खातेदारी की कब्जासुदा भूमि मूल खसरा सं. 267 का भाग रही है। जिसमें से प्रार्थीगण को उनके कब्जे अनुसार अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि नियमन की गई है तत्पश्चात् नियमानुसार प्रार्थीगण के नाम खातेदारी का नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण को माननीय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ के आदेश दिनांक 10–11–2010 के द्वारा जरिये नियमन आवंटित की गई है। तद्नुसार प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नियमन से पूर्व से लगाकर आज दिनांक तक कायम है। सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटन के समय आवंटित भूमि का नक्शा आवंटन आदेश के साथ अनुमोदित किया जाकर इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अंकन करने हेतु आदेशित किया गया था। जिसकी पालना में अप्रार्थी द्वारा नामान्तरकरण सं. 1499 के जरिये वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी में तथा तत्पश्चात् खातेदारी में दर्ज की गई। नामान्तरकरण सं. 1499 की पुस्त पर प्रार्थीगण को आवंटित/नियमित वादग्रस्त भूमि का नक्शा दर्शाया गया है इसी माफिक मौके पर प्रार्थीगण का पुरातन कब्जा है। इसके उपरान्त अप्रार्थी द्वारा राजस्व नक्शे में वादग्रस्त भूमि आज दिनांक तक अंकित/तरमीम नहीं की गई। इस बाबत् प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी को कई बार शिकायत कर बताया गया कि वादग्रस्त भूमि को नक्शे में यथास्थान तरमीम/दर्ज

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

नहीं होने के कारण आये दिन वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अतिक्रमण सम्बन्धित विवाद बेवजह उत्पन्न हो रहे है जिसके चलते प्रार्थीगण के साथ कभी भी कोई विवाद संभव है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को नियमानुसार राजस्व नक्शे में यथास्थान अंकित/तरमीम करवाने के अधिकारी है। इसके उपरान्त आज दिन तक अप्रार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में कतई कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की। जिस पर मजबूरन प्राथीगण की ओर से मौजूदा प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है ग्राम चान्देलाव स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा सं. 267/5 को राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार यथास्थान दर्ज करने हेतु अप्रार्थी को आदेशित किया जावे।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये बाद तामिल प्राप्त हुए। अप्रार्थी सं. 1 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चान्देलाव के खसरा सं. 267/5 रकबा 2.1843 हैक्टयर(13 बीघा 10 बिस्वा) किस्म बारानी सोयम प्रार्थीगण के नाम खातेदारी भूमि स्थिति है। ग्राम चान्देलाव के खसरा सं. 267 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी सोयम प्रार्थीगण को नियमन होने से नामान्तरकरण सं. 1499 दिनांक 09.12.2010 दर्ज होकर स्वीकृत हुआ इस नामान्तरकरण की पुस्त पर नियमन किये खसरे का नजरी नक्शा भी अंकित है। प्रार्थीगण द्वारा तरमीम शुद्धि का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है परन्तु वर्णित तरमीम को बदला जाता है तो मूल खसरे के बटटा नंबर 267, 267/1, 267/2, 267/3, 267/4, 267/6 तथा 267/7 की भी तरमीम प्रभावित होगी जिनको पक्षकार नहीं बनाया गया है पक्षकार बनाया जावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। प्रार्थीगण को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर के आदेश क्रमांक अ./2010/67-69 दिनांक 10.11.2010 की पालना में गैर खातेदार का खसरा नंबर 267/5 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी सोयम नियमन होने से नामान्तरकरण सं. 1499 दिनांक 09.12.2010 दर्ज होकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। इस नामान्तरकरण की पुस्त पर नियमन किये खसरे का नजरी नक्शा भी अंकित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार है किन्तु प्रार्थीगण द्वारा तरमीम शुद्धि का अनुतोष हेतु भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने के अभाव में प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रभावित काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने के अभाव में अनुतोष प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को प्रभावित खसरों के काश्तकार को पक्षकार नहीं बनाये जाने के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 4|08|15 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा